

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/भवन 08-54/2023.....318

पटना, दिनांक 09/01/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: भागलपुर अन्तर्गत शिक्षा भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि ₹4,96,16,000/- (चार करोड़ छियानबे लाख सोलह हजार) रुपये मात्र में से विमुक्त की गई राशि ₹3,59,16,600/- (तीन करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार छः सौ) रुपये मात्र के पश्चात् देय राशि ₹1,36,99,400/- (एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबे हजार चार सौ) रुपये मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,36,99,400/- (एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबे हजार चार सौ) रुपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में शिक्षा भवन, भागलपुर के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-132 दिनांक-13.03.2014 द्वारा ₹2,30,00,000/- (दो करोड़ तीस लाख) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-85 दिनांक-18.12.2015 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-04 दिनांक-13.06.2016 द्वारा भागलपुर शिक्षा भवन के लिए कुल ₹1,76,25,000/- (एक करोड़ छिहत्तर लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र निगम को उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात् विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-331 दिनांक-02.01.2024 द्वारा पुनः भागलपुर जिला अन्तर्गत शिक्षा भवन के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि ₹4,96,16,000/- (चार करोड़ छियानबे लाख सोलह हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं अवशेष राशि ₹3,19,91,000/- (तीन करोड़ उन्नीस लाख इक्यानबे हजार) रुपये मात्र के विरुद्ध वित्तीय 2023-24 में ₹1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये मात्र की विमुक्ति तथा स्वीकृत्यादेश संख्या-167 दिनांक-16.10.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹82,91,600/- (बेरासी लाख इक्यानबे हजार छः सौ) रुपये मात्र की विमुक्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार स्वीकृत राशि ₹4,96,16,000/- (चार करोड़ छियानबे लाख सोलह हजार) रुपये मात्र में से अबतक कुल ₹3,59,16,600/- (तीन करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार छः सौ) रुपये मात्र की विमुक्ति प्रदान किये जाने के पश्चात् ₹1,36,99,400/-

aw

(एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबे हजार चार सौ) रुपये मात्र की राशि विमुक्त किया जाना शेष है।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-5758 दिनांक-21.06.2025 द्वारा प्राप्त पत्र के माध्यम से विभिन्न स्वीकृत्यादेशों के माध्यम से स्वीकृत 28 शिक्षा भवनों के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹74,58,84,600/- (चौहत्तर करोड़ अठावन लाख चौरासी हजार छः सौ रुपये) मात्र रुपये की मांग की गयी है।

भागलपुर अन्तर्गत शिक्षा भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि ₹4,96,16,000/- (चार करोड़ छियानबे लाख सोलह हजार) रुपये मात्र में से विमुक्त की गई राशि ₹3,59,16,600/- (तीन करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार छः सौ) रुपये मात्र के पश्चात् देय राशि ₹1,36,99,400/- (एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबे हजार चार सौ) रुपये मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,36,99,400/- (एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबे हजार चार सौ) रुपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

इस भवन के अन्तर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक कक्ष, विभिन्न कर्मचारियों का कक्ष, सम्मेलन कक्ष, अतिथि कक्ष, विनोद कक्ष, पुस्तकालय, क्रिडा कक्ष, गार्ड का आवास, शौचालय, गैरेज, जेनरेटर कक्ष, एम.आई.एस कक्ष, कैफेटेरिया, पार्किंग एवं डी० पी० ओ० कक्ष का निर्माण के साथ-साथ उपस्कर का प्रावधार भी प्रस्तावित है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,36,99,400/- (एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबे हजार चार सौ) रुपये मात्र का विकलन मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा खेलकूद कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-सामान्या शिक्षा, लघुशीर्ष-202-माध्यमिक शिक्षा, उपशीर्ष-0112-शिक्षा भवन, विपत्र कोड-21-4202012020112 विषय शीर्ष-0112.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत होगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में संगत शीर्ष में ₹71,00,00,000/- (इकहत्तर करोड़) रुपये मात्र का उद्ब्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है। वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-02 के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025 की कंडिका-(क) एवं (ख) में राज्य स्कीम अंतर्गत प्रदत्त चौमाही बंधेज के तहत प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त के रूप में उक्त संगत मद में उपबंधित राशि का 65 प्रतिशत अर्थात् ₹46,15,00,000/- (छियालीस करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये मात्र प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल 28 शिक्षा भवन को राशि आवंटित किया जाना है।

Sum

3. उक्त राशि अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा BTC-46 द्वारा पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी० एल० खाता संख्या-PBBPLA005 के अन्तर्गत Ledger ID 2480 Ledger State P&L for Shiksha Bhawan में राशि का अन्तरण, अन्तरण जमा के द्वारा किया जायेगा। यह कार्य CFMS के माध्यम से स्थापित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।
4. व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर उक्त कार्यकारी एजेन्सी द्वारा विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) बिहार, पटना को निर्धारित अवधि में उपलब्ध करायेंगे।
5. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।
6. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना या उनमें द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या उनमें द्वारा नामित पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी, द्वारा किया जायेगा।
7. वित्त विभागीय पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-03 एवं कंडिका-05 (ख) (ii) के आलोक में राशि की निकासी की जा रही है।
9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्रों एवं अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।
10. संचिका संख्या-11/भवन 08-54/2023 के पृष्ठ/नोट-176/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. संचिका संख्या-11/भवन 08-54/2023 के पृष्ठ/नोट-189/टि० पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 11/भवन 08-54/2023

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 11/भवन 08-54/2023.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

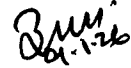
ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 11/भवन 08-54/2023318

पटना, दिनांक 09/01/2024

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव, शिक्षा विभाग